न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली, कैम्प सिराही

पीठासीन अधिकारीः– नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्याः 05/2019

जीसीएमएस नम्बरः 2019/00252

अपीलाण्ट

1. मगाराम पुत्र धरमाजी, जाति कलबी, निवासी वासड़ा, तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स

1. श्रीमती सरोज मीणा, निवासी मावल, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही
2. रमेश कुमार गुर्जर, ठेकेदार(आर. के कन्सट्रकशन) हाल मावल, तहसील आबूरोड़ जिला–सिरोही
3. विरेन्द्र व्यास, निवासी मावल तहसील आबूरोड, जिला सिरोही
4. भावा पुत्र पुनमा जाति मेघवाल, निवासी वासडा तहसील आबूरोड जिला सिरोही
5. अमरा पुत्र पुनमा जाति मेघवाल निवासी वासड़ा तहसील आबूरोड
6. अमरा पुत्र जगा जाति मेघवाल निवासी वासड़ा तहसील आबूरोड़
7. मफत पुत्र जगा जाति मेघवाल निवासी वासड़ा तहसील आबूरोड़
8. प्रेमा पुत्र नरसा जाति मेघवाल, निवासी वासड़ा तहसील आबूरोड
9. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार आबूरोड़ तहसील आबूरोड़

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश कुमार सुराणा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री हुनर सिंह देवड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या 05 से 8
3. शेष रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट संख्या 09

–ःनिर्णयः–

दिनांकः–13/12/2022

अपीलाण्ट्स की ओर यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2014 बउनवान मगाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-सिरोही

बनाम सरोज मीणा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा एक वाद 92, 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत को वाद प्रस्तुती के पूर्व धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधान के अन्तर्गत नोटिस नहीं दिये जाने के कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज किया। जो विधि सम्मत नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 01 सरोज मीणा का पेशा सरपंच ग्राम पंचायत मावल होना दर्शाया है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 03 वीरेन्द्र व्यास का पेशा सचिव ग्राम पंचायत मावल होना दर्शाया है। अपीलाण्ट ने उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये आलौच्य वाद में ग्राम पंचायत मावल को पक्षकार नहीं बनाया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत को वाद प्रस्तुती के पूर्व धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधान के अन्तर्गत नोटिस दिये जाने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। जिससे आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रावधान हस्तगत प्रकरण में किसी भी रूप से लागू नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही कर आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु रिमांड फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा एक वाद एक वाद 92, 183, 188, 209 के तहत प्रस्तुत किया। जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 03 को बतौर सरपंच एवं सचिव के रूप ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया है। किन्तु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 109 के तहत आवश्यक नोटिस अपीलाण्ट द्वारा नहीं दिया गया है। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कानूनी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद 92, 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। इसके पश्चात दिनांक 02.09.2016 को रेस्पोडेन्ट द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

प्रस्तुत किया, जिस पर जैर अपील आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसमें मुख्य आधार यह लिया गया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के विरूद्ध वाद दायर करने से पूर्व नोटिस नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेण्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट के वाद को विधि विरूद्ध मानते हुए खारिज कर दिया। यहा सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 को उद्भूत किया जाना आवश्यक है जिसके प्रावधान निम्न प्रकार है।

*"**11. Rejection of plaint.**- The plaint shall be rejected in the following cases:—*

(a) where it does not disclose a cause of action;

(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;

(e) where it is not filed in duplicate;

(f) where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule 9;

Provided that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not be extended unless the Court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp-paper, as the case may be, within the time fixed by the Court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.

इस प्रकार इस नियम के अनुसार दावा खारिज किया जावेगा यदि (क) वाद हेतुक को प्रकट नहीं किया गया हो, (ख) अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो, (ग) वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्रों पर लिखा गया हो, (घ) वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो, (ड.) वादपत्र डुप्लीकेट में प्रस्तुत नहीं करना अथवा (च) नियम 9 की अनुपालना नहीं की गयी हो। जब आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थनपात्र इस बिन्दु पर आधारित हो कि वाद विधि द्वारा वर्जित है अर्थात प्रार्थनापत्र का आधार आदेश 7 नियम 11 का उपनियम (घ) हो तो उपनियम (घ) की शब्दावली "where the suit **appears from the statement in the plaint** to be barred by any law" पर ध्यान देना आवष्यक है जिसका आषय यह है कि आदेष 7 नियम 11 के प्रार्थनापत्र में यह स्पष्ट करना होगा कि वादपत्र के ''कौन से अभिकथन'' के कारण दावा ''किस विधि'' से बाधित है। अगर प्रार्थनापत्र में ऐसा खुलासा नहीं किया गया है तो प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में जिन बिन्दुओं को रेखाकिंत किया उसमें मुख्य बिन्दु यह है, अपीलाण्ट ने उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये आलौच्य वाद में ग्राम पंचायत मावल को पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 01 सरोज मीणा का पेशा सरपंच ग्राम पंचायत मावल तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 03 वीरेन्द्र व्यास का पेशा सचिव ग्राम पंचायत मावल होना दर्शाया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत को वाद प्रस्तुती के पूर्व धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधान के अन्तर्गत नोटिस दिये जाने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा रेखांकित किए गए उक्त बिन्दुओं के परीक्षण हेतु हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद का अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रकट होता है, कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 03 क्रमशः सरपंच व सचिव होने के नाते पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि वादग्रस्त आराजी पर सड़क निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जा रहा है, अतः श्रीमती सरोज मीणा व विवेक व्यास को व्यक्तिगत रेस्पोडेण्ट बनाया जाने का औचित्य नहीं है। उपरोक्त विधि के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने से यह तथ्य प्रकट आता है, कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में उल्लेखित किया कि पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 109 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत के विरूद्ध कोई भी वाद लाने से पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है, जबकि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम पंचायत को ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया, अतः वाद विधि द्वारा बाधित है। इस संदर्भ में (2013) 2 CDR 778:(2012)2 DNJ 1153: (2012) 38 RCR(Civil) 250: (2013) 2RLW में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बलदेव सिंह बनाम गुड्डी देवी में यह प्रतिपादित किया कि No suit or other civil proceeding against a Panchayati Raj Institution or against any member, officer or servant thereof or against any person acting under the direction of a Panchayati Raj Institution or any member, officer or servant thereof for anything done or purporting to be done under this Act in its or his official capacity उपरोक्त न्याय सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूपेण चस्पा होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद को विधि द्वारा बाधित मानते हुए अपीलाण्ट का वाद खारिज किया है। पत्रावली पर उपलब्ध रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि रेस्पोडेण्ट प्रार्थना पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया है, कि वाद किस विधि से बाधित है। उक्तानुसार विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत पारित किया गया हैं। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2014 बउनवान मगाराम बनाम सरोज मीणा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2019 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 13/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली, कैम्प सिरोही